झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ग नवम् सत्र 2017-19 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञप्ति संख्या - 60/2018

एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सत्र 2017-19 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्यालयवार नवम् वर्ग की वार्षिक परीक्षा हेतु मांग पत्र में अंकित छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर गत वर्ष की भांति पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है।

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है:-

	ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने एवं चालान जेनरेट करने की तिथि	**चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि**
विलम्ब शुल्क रहित	04.10.2018 से 24.10.2018 तक	26.10.2018 तक
विलम्ब शुल्क सहित	25.10.2018 से 31.10.2018 तक	02.11.2018 तक

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीयन की कार्रवाई नहीं की जायेगी। छात्रों का पंजीयन **जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से नवम् वर्ग की परीक्षा के लिए प्राप्त छात्र संख्या के अनुसार ही किया जा सकेगा।** ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in तथा www.jac.nic.in के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीयन के Steps **निम्नवत् है:-**

- विद्यालय प्रधान परिषद् के उक्त दोनों वेबसाइटों में से किसी पर भी जाकर Online Registration form for Secondary Examination 2019 अंकित Tab पर Click करेंगे। Click के बाद जो पेज खुलेगा उसमें एक फॉर्म जो दिनांक **01.10.2018** से उपलब्ध होगा जिसे डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त फॉर्म में छात्र अपनी विवरणी भरकर विद्यालय में जमा करेंगे जिसका उपयोग छात्रों के पंजीयन विवरणी विद्यालय प्रधान के माध्यम से भरने में किया जा सकेगा।
- विद्यालय को पूर्व में उपलब्ध कराये गये User ID, Password एवं Capcha को निर्धारित कॉलम में भरकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे।
- तत्पश्चात् एक दूसरा पेज खुलेगा जिसमें विद्यालय प्रधान का मोबाईल नं. एवं ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) भरना होगा। ध्यातब्य कि यह मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. उनके विद्यालय के पंजीयन के लिए रजिस्टर्ड होगा एवं जितनी बार वे Login करेंगे, उस मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. पर One time password (OTP) का मैसेज आएगा एवं उस OTP को डालने के पश्चात् ही Login किया जा सकेगा। एक बार रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. को बदला नहीं जा सकता है।
- इसके बाद विद्यालय से संबंधित विवरणी के पेज में सभी जानकारी देनी होगी।
- विद्यालय की जानकारी देने के उपरान्त छात्र/छात्राओं के पंजीयन के लिए वेबसाइट तैयार होगा। Add New Student के बटन पर क्लिक कर छात्र/छात्राओं का पंजीयन किया जाएगा।
- छात्र/छात्राओं की विवरणी भरने के उपरान्त उनका चेकलिस्ट प्रिन्ट करना अनिवार्य होगा। चेकलिस्ट प्रिन्ट कर सभी छात्र/छात्राओं की विवरणी का मिलान कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाय ताकि त्रुटि की सम्भावना न रहे। तदोपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को User ID एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग कर वे विद्यालय के कोड के अनुसार विद्यालय द्वारा पंजीयन के लिए आवेदित छात्र/छात्राओं का मिलान करेंगे ताकि वैसे हीं छात्रों का पंजीयन सम्भव हो सके जो नामांकित हों एवं वर्ग नवम् की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। मिलान करने के उपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी उस विद्यालय के छात्र/छात्राओं की विवरणी को अनुमोदित करेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क Allahabad Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे।
- शुल्क जमा करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए निम्नवत् पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(1)	राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय।	(6)	कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय।
(2)	सरकार द्वारा स्थापित 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(7)	प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय।
(3)	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।	(8)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (अनुदानित)।
(4)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984-85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।	(9)	स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय (गैर अनुदानित)।
(5)	सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय।	(10)	केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय।

शुल्क की राशि

(क) **नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र शुल्क- ₹70.00 प्रति छात्र/छात्रा देय होगा।**

(ख) **उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क ₹80.00 देय नहीं होगा।**

(ग) **उपर्युक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क ₹80.00 प्रति छात्र देय होगा।**

(घ) **जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार ही पंजीयन किया जाएगा।**

(ड़.) **पूर्णतः स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए**

पंजीयन शुल्क - ₹400.00
अनुमति शुल्क - ₹400.00 } ₹800.00

(च) **पंजीयन विलम्ब शुल्क** - ₹250.00।

(छ) **क्रमांक 07 के विद्यालय प्रधानों को प्रस्वीकृति तथा क्रमांक 08 के विद्यालय प्रधानों को स्थापना अनुमति संबंधी पत्र एवं अनुदान का साक्ष्य एवं क्रमांक 09 के विद्यालय प्रधानों को स्थापना अनुमति संबंधी पत्र साथ में Upload करना होगा।**

(ज) स्वतंत्र छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के प्रधानों को उनके पंजीयन एवं अनुमति आवेदन-प्रपत्रों को अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है:-

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
4. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है।

उक्त क्रियाशीलन के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

(झ) स्वतंत्र छात्र/छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम् की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे।

1. स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय,आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं है, वे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूल प्रति जमा करना होगा।
2. पंजीयन आवेदन-प्रपत्र में विषयों का चयन अच्छी तरह पढ़कर ही किया जाय।
3. **दिनांक 01.03.2005 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।**
4. फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित साईज में साफ-साफ स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक होगा।
5. छात्र/छात्राओं के पंजीयन विवरणी में सुधार चालान जेनरेट करने के पूर्व करना सम्भव हो सकेगा। चालान जेनरेट करने के बाद विवरणी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
6. स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखण्ड राज्य के निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा जो सामेकित विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना होगा।
7. निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन संबंधी कार्य बन्द कर दिया जाएगा।

नोटः 1) कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषित नहीं करेंगे।

2)सभी विद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरणी, आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में परिषद् द्वारा मांग किए जाने की स्थिति में उपलब्ध कराया जा सके।

3) पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरी जाय। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे छात्र/छात्रा सामान्य कोटि के माने जायेंगे। भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/गो./ 1907/17/SECY/527/18
Dt. 19.09.2018, D.O.P : 20.09.2018

8X42